माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर, सर्किट बैंच उज्जैन, मध्य प्रदेश

20-9-17

PBR/निगरानी/नीमच/भू॰रा/2017/3655

प्रकरण कमांक

सुरेशचन्द्र जाट पिता स्व0 डाडमचंदजी,
निवासी– ग्राम कुण्डला तह. जावद ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

सचिव,
ग्राम पंचायत कुण्डला,
तहसील जावद जिला नीमच .... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

<u>प्रथम पुनरीक्षण अंतगर्त धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959</u>

माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावद के प्रकरण कमांक 18/पुनरीक्षण/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 03.08.2017 से व्युत्पन्न

मान्यवर महोदय,

सेवा में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका निम्नवत् प्रस्तुत है–

मामले के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के पिता डाडमचंद पिता बोतलालजी जाट का स्वर्गवास दिनॉक 28.03.2013 को हो गया था पुनरीक्षणकर्ता के मेरे पिता की कृषि भूमियॉ मौजा ग्राम कुण्डला पटवारी हल्का नंबर 44, तहसील जावद जिला नीमच में स्थित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:– खसरा नंबर 364 रकबा 0.063 हेक्टर, खसरा नंबर 547 रकबा 0. 418 हेक्टर तथा खसरा नंबर 572 रकबा 0.293 हेक्टर है उक्त कृषि भूमियॉ का कुल रकबा 0.774 हेक्टर की हैं तथा एक मकान जो कि ग्राम कुण्डला में राम जानकी मंदिर के पास गली में स्थित है, व एक बाड़ा जो कि कुड़ी वाला बाड़ा के नाम से है। उक्त समस्त संपत्तियॉ पुनरीक्षणकर्ता के पिता की स्वअर्जित होकर उसके पिता स्व0 डाडमचंद

सुरेश चन्द्र / सचिव पंचायत

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर (५)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR / R / नीमच / 17 / 22 / 3655 जिला - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनु० अधिकारी जावद के प्रकरण क्रमांक 18 पुनं० / 15-16 में पारित आदेश दिनांक 3 / 8 / 17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर नीमच को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10.19 को कलेक्टर नीमच के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	